2016/00027
2017/00186

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 29/2016 (डूंगरपुर डिक्री)

कयूम उर्फ सुल्तान पिता कालु जी कुंजडा, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), डूंगरपुर (राज.)
4. प्रधानाचार्य राजकीय महारावल सिनियर माध्यमिक विद्यालय, डूंगरपुर।
5. महिपालसिंह पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह जी महारावल, उदयविलास पैलेस, डूंगरपुर (राज.)
6. जुमा पिता गटू उर्फ इस्माईल कुंजडा, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री डी. सी. चौबीसा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री बी. एल. पण्डया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 4, 5
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2
4– श्री जुमा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 (स्वयं)

(2) प्रकरण संख्या 8/2017 (डूंगरपुर डिक्री)

जुमा पिता गटू उर्फ इस्माईल कुंजडा, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), डूंगरपुर (राज.)
4. प्रधानाचार्य राजकीय महारावल सिनियर माध्यमिक विद्यालय, डूंगरपुर।

5. महिपालसिंह पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मणसिंह जी महारावल, उदयविलास पैलेस, डूंगरपुर (राज.)
6. कयूम उर्फ सुल्तान पिता कालु जी कुंजडा, निवासी डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री शैलेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री बी. एल. पण्डया अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 4, 5

3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2

4– श्री डी. सी. चौबीसा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 6

———::———

अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 30.03.2016, प्र. सं. 48/06

———::———

निर्णय **दिनांक 05–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में शीर्षक वर्णित दोनों अपीलान्ट द्वारा एक वाद प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डूंगरपुर में वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार कुल किता 7 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। यह भूमि वादी संख्या 1 जुम्मा के खाते में खतौनी संवत् 1999 से 2008 में गत खसरा नंबर 1002 एवं वादी संख्या 2 कयुम उर्फ सुल्तान के खाते में खसरा नंबर 1064, 1065, 1066 व 1070 में शिकमी उपकृषक के कालम नाम में दर्ज थी। सेटलमेन्ट के दौरान गत आराजियात के हाल आराजी वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार कुल किता 8 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा बने हैं। संवत् 1999 से 2008 तक वादीगण के पूर्वजों का नाम खतौनी में अंकित होता रहा एवं कब्जा होना अंकित होता रहा तत्पश्चात संवत् 2014 दिनांक 31–05–1957 को प्रतिवादी संख्या 5 के पिता पूर्व महारावल साहब श्री लक्ष्मणसिंह के द्वारा उदय विहार की आराजियात विक्रय कर विद्यालय संख्या 3 व 4 विद्यालय के नाम जरिये

पावर ऑफ एटोर्नी के विक्रय कर दी तथा विक्रय पत्र में उदय विहार के पड़ोस नहीं लिखकर वादीगण की आराजियात के बाद आगे के पड़ोस अंकित कर दिये, जबकि कब्जा आज भी वादीगण का ही चला आ रहा है। उक्त विक्रय वादीगण के मुकाबले शून्य है। अतएवं वाद वर्णित भूमि में से वादी संख्या 1 को आराजी नंबर 1243 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का एवं वादी संख्या 2 को शेष अन्य आराजियात का खातेदार घोषत किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण वादग्रस्त आराजियात के उपकृषक नहीं हैं। रियासत कालीन रेकार्ड का नाजायज लाभ उठाने के लिए वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 5 के पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मणसिंह महारावल साहब डूंगरपुर रियासत काल के शासक थे और उन्हें संविधान द्वारा विशेषाधिकार व सुविधाऐं शासक की भांति ही प्राप्त थी, जो सन् 1967 तक जारी थी। वह कभी जागीरदार नहीं रहे हैं। यह तथ्य सर्वथा असत्य अंकित है। जागीर रिज्यूम होने का इस मामले में कोई प्रभाव नहीं रहा है। महारावल साहब द्वारा किया गया विक्रय विधि सम्मत होकर सार्वजनिक तौर पर बाध्यकारी है। वादीगण इससे छूट पाने के हकदार नहीं हैं। वादी द्वारा महारावल साहब के अन्य पुत्र पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है। वादी द्वारा पूर्व में भी एक वाद माननीय न्यायालय में मुकदमा नंबर 71/97 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 29–09–2004 को खारिज हो चुका है, जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में विचाराधीन होकर मुकदमा नंबर 33/2005 है। यह अपील भी ऐसे ही तथ्यों पर आधारित है जो चलने योग्य नहीं है। एक ही पक्षकार को एक ही प्रकार के विवाद को बार–बार वाद दफा 11 जा.दी. के तहत भी चलने योग्य नहीं है। महारावल साहब के अन्य उत्तराधिकारियों जी इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं, उन्हें भी वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियां कायम की गयी :–

1. क्या वादी संख्या 1 खसरा नंबर 1243 रकबा 1.11 व वादी संख्या 2 पैरा संख्या 1 व 2 में उल्लेखित शेष भूमियों के शिकमी खातेदार होने से

अपने नाम दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के खाते से हटाने के अधिकारी हैं ? .... वादीगण

2. क्या विक्रय पत्र दिनांक 23—06—1957 एवं पंजीयन दिनांक 31—05—1977 वादीगण के मुकाबले शून्य समझना उचित होगा ? .... वादीगण

3. क्या प्रकरण में धारा 11 सी.पी.सी. के तहत दुबारा सूनने योग्य नहीं है ? .... प्रतिवादी

4. क्या सन् 1957 से प्रतिवादी का कब्जा होने एवं आवश्यक पक्षकारान के अभाव में वाद खारिज योग्य है ? .... प्रतिवादी

5. अनुतोष क्या होगा ?

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 30—03—2016 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर वादी संख्या 2 द्वारा प्रथम अपील संख्या 29/2016 इस न्यायालय में दिनांक 22—07—2016 को पेश की गयी। इसी प्रकार वादी संख्या 1 द्वारा द्वितीय अपील संख्या 8/2017 इस न्यायालय में दिनांक 16—05—2017 को पेश की गयी।

उपरोक्त दोनों अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के दोनों वादीगण द्वारा पृथक—पृथक इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायलय कें एक ही प्रकरण संख्या 48/2006 के विरूद्ध प्रस्तुत होने, अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एक ही होने तथा पक्षकारान व विषय वस्तु समान होने से हम दोनों अपीलों का एक ही निर्णय एक साथ किया जाना उचित समझते हैं। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

सर्वप्रथम हम प्रथम अपील संख्या 29/2016 का विवेचन करना उचित समझते हैं। उपरोक्त प्रथम अपील में अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अतएवं अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर प्रकरण में प्रथम अपील के सन्दर्भ में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से

वादी संख्या 1 जुमा स्वयं उपस्थित हुआ। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री बी. एल. पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड एवं उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है तथा पक्षकारों के अभिवचन के अनुसार तनकियात विरचित नहीं कर मनमर्जी से तनकियात विरचित कर प्रकरण में सरसरी निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में वादी संख्या 1 ने दुरभिसंधि कर ली एवं अपीलान्ट के हितों के विपरीत साक्ष्य पेश की, जिससे वादी/अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं। तनकी नंबर 1 के संबंध में यह ओब्जरवेशन लिया कि वादीगण द्वारा शिकमी दर्ज के क्रम में निर्धारित समयावधि में वाद प्रस्तुत नहीं किया जिससे अब राहत पाने के अधिकारी नहीं है, जबकि अवधि के संबंध में कोई तनकियात ही विरचित नहीं की। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 का निर्णय भी गलत रूप से किया है। विक्रय पत्र रजिस्टर्ड होने मात्र से दस्तावेज को शून्य नहीं माना जा सकता। वादीगण संवत् 2019 से पूर्व शिकमी काश्तकार थे उन्हें नेय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 लागू हो जाने से धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार कानून के लागू होते ही काश्तकार दर्ज किया जाना था अब भी काश्तकार घोषित किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 3 का निर्णय भी कानून के विपरीत किया है तथा तनकी नंबर 4 का निर्णय भी गलत किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया पाया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तनकी नंबर 1 थी, उस पर अपना निर्णय पारित करते हुए विक्रय

पत्र जिसकी जानकारी पूर्व निर्णयों के आधार पर वादीगण को होने के तथ्य पूर्णतया रेकार्ड पर होने के तथ्यों के आधार पर उक्त तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड के अवलोकन से ही तथा वादी/अपीलान्ट स्वयं के बयानों से भी यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का नहीं है। किसी भी वाद के सन्दर्भ में विधिक स्थिति यह है कि कब्जा नहीं तो खातेदारी नहीं। जब वादी/अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा ही नहीं है तो खातेदारी दिये जाने का कोई आधार ही नहीं है। वर्ष 1957 के विक्रय को नहीं माने का कोई आधार नहीं है। वादीगण के पूर्वज शिकमी के रूप में दर्ज थे, परन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 से 19 के तहत विहित समय में वादीगण द्वारा खातेदारी का आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा राजकीय विद्यालय को जब भूमि वर्ष 1957 में ही पंजीकृत विक्रय पत्र से दी जा चुकी है तथा इस बाबत् वादीगण द्वारा वाद दायरी से पूर्व विवादित भूमि के सन्दर्भ में अन्य वाद दायर किये जा चुके हैं, जो खारिज हो चुके हैं, तो इस परिस्थितियों में जबकि वादी/अपीलान्ट का कब्जा ही नहीं है तो बिना कब्जे के खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती तथा संवत् 1999 से 2008 तक के शिकमी काश्तकारी को अब किन्हीं भी प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकारों के लिए अधिकृत नहीं माना जा सकता। तद्नुसार तनकी नंबर 1 के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को हम युक्ति–युक्त पाते हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 2 के सन्दर्भ में भी पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त किये जाने का राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं माने जाने बाबत् जो निर्णय किया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

इसी प्रकार तनकी नंबर 3 के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि पक्षकारान भिन्न हैं, परन्तु मूल विवाद बिन्दु व विषय वस्तु समान होने से तनकी नंबर 3 के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को हम उपयुक्त पाते हैं।

अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 4 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा होने के आधार पर उक्त तनकी का निर्णय उपयुक्त रूप से किया है। तद्नुसार हम प्रथम अपील में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं प्रथम अपील संख्या 29/2016 सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

अब हम प्रकरण में द्वितीय अपील संख्या 8/2017 के सन्दर्भ में जो वादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत की गयी है, पर विवेचन किया जाना उचित समझते हैं। अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील संख्या 24/2016 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28–04–2017 के अपील प्रत्याहरण होने से अपील प्रस्तुत किये जाने के क्रम में यह अपील दिनांक 16–05–2017 को पेश की गयी है। अतएवं अपील अन्दर मयाद मानी जाकर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री डी. सी. चौबीसा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री बी. एल. पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील खारिज करने की प्रार्थना की, जबकि वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 ने अपीलान्ट के कथनों की ताईद की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का उचित मूल्यांकन नहीं किया है एवं अभिवचन के अनुरूप तनकियात निर्मित नहीं की है। अधिनस्थ न्यायलय ने तनकियों का सही विवेचन नहीं कर तनकी नंबर 1 से 4 का निर्णय विधि विरूद्ध किया है।

→ वस्तुतः इस अपील में भी अपीलान्ट द्वारा जो उजर लिये गये हैं, उनके सन्दर्भ में प्रथम अपील संख्या 29/2016 में हमारे द्वारा विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। तद्नुसार इस अपील में हम अलग से पुनः

तनकीवार विस्तृत विवेचन किये जाने की कोई उपादेयता नहीं पाते हैं एवं हमारे द्वारा प्रथम अपील में किये गये निर्णय के अनुसार ही हम इस द्वितीय अपील को भी सारहीन पाते हैं। तद्नुसार द्वितीय भी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतएवं द्वितीय अपील संख्या 8/2017 सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—03—2016 यथावत रखी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05—04—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

कयूम उर्फ सुल्तान पिता कालुजी कुंजडा नि0 डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं...........**29/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**डूंगरपुर**.......... मुकाम................मुवर्खे...........**30**...............माह..............**03**............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**05**.....माह........**04**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री दिनेश चौबीसा**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री बी. एल. पण्डया** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**05**......माह.......**04**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत...........**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

जुमा पिता गटु उर्फ इस्माईल कुंजडा, नि0 डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर <u>बनाम</u> **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं॰...........**8/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**डूंगरपुर**.......... मुकाम................मुवर्खे.............**30**...............माह..............**03**............**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**05**.....माह........**04**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री शैलेष भण्डारी**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री बी. एल. पण्डया**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–03–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**05**......माह.......**04**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।